

१३८

न्यायालय श्रीमान राजरव मण्डल गवालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा
(मोप्र०)



फॉर्म ५५५३ भा/१६

प्रमोद नारायण त्रिपाठी तनय रव० हर्ष नारायण त्रिपाठी उम्र ८० वर्ष पेशा
पेन्सनर एव कृषि निवासी रामपुर बाघेलान जिला सतना मोप्र०

— निगरानीकर्ता

बनाम

१— शासन मोप्र० द्वारा जिलाध्य सतना मोप्र०

२— स्टाम्प कलेक्टर सतना जिला सतना मोप्र० — निगरानीकर्ता

पुनर्विलोकन विरुद्ध माननीय न्यायालय
द्वारा निगरानी प्रकरण कमाक
7005/दो-१५ मे पारित आदेश दिनांक
22-८-१६ ,

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा ५१ मोप्र०भ०
रा०सं० १९५९ ई०

मान्यवर,

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र के अधार निम्न लिखित है —

१— यह कि उक्त उनमान निगरानी प्रकरण माननीय न्यायालय मे कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला सतना के द्वारा प्रकरण कमाक — २३ बी/१०३/१३-१४ मे पारित आदेश दिनांक — २८-०१-२०१५ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी थी। जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक २२-८-१६ को आदेश पारित किया गया है जिसमे प्रकरण के तथ्यो की विवेचना करते हुए निगरानी निरस्त की गयी है। किन्तु उपरोक्त आदेश मे माननीय उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो का अवलोकन कर प्रकरण मे पारित आदेश मे पुनर्विलोकन की आवश्यकता है इस कारण पुनर्विलोकन प्रकरण माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा रहा है।

२— यह कि माननीय न्यायालय मे समस्त बातो का उल्लेख करते हुए यह उल्लेखित किया गया था कि विवादित दस्तावेज जिसका पंजीयन किया

— अंतिम —

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग—अ

प्रकरण क्रमांक 5553—दो / 16 पुनरावलोकन

जिला — सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
०६-०८-१४	<p>यह पुनरावलोकन आवेदन तत्कासदस्य, राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 7005—दो / 2015 निगरानी में पारित अंतिम आदेश दिनांक 22-8-16 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। पुनरावलोकन की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क पूर्व पेशी पर सुने जा चुका है। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>3/ प्रकरण के अवलोकन पर परिलक्षित है कि मान० व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 499 ए/2010 से सम्बन्धित अपंजीकृत विक्रय टीप दिनांक 28-4-63 को मुद्रौक अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत अवरुद्ध कर कलेक्टर आफ स्टाम्प सतना को मुद्रौक शुल्क एंव शारित वसूली हेतु भेजा गया। कलेक्टर आफ स्टाम्प सतना ने प्रकरण क्रमांक 77 बी 103 / 13-14 में दिनांक 19-10-15 को आदेश पारित करके माननीय व्यवहार न्यायालय को पत्र दिनांक 22-1-15 से प्रकरण को निर्णीत करने की रिथति बताई, जो व्यवहार वाद क्रमांक 499 ए/2010 से सम्बन्धित रही है। मानन्यायालय में दायर व्यवहार वाद क्रमांक 499 ए/2010 में प्रथम अपंजीकृत टीप में प्रभावित रकवा की कीमत 13,47,000/- पर मुद्रौक शुल्क 95774/- के साथ मुद्रौक अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत अर्थदण्ड 2000/- अधिरोपित कर कुल 97,974/- जमा कराये जाने के आदेश हुये हैं, जिसके कारण</p>	

प्र०क्र० 5553-दो/16 पुनरावलोकन

तत्कालीन सदस्य राजस्व मण्डल ने आदेश दिनांक 22.8.16 में कलेक्टर आफ स्टाम्प सतना के आदेश को सही होना माना है। वैसे भी पुनरावलोकन आवेदन के तथ्यों पर विचार करने के लिये निम्न आधार होना चाहिये –

1. नवीन या सारपूर्ण साक्ष्य का ज्ञान होना, जो पक्षकार के ज्ञान में आदेश दिये जाने के पूर्व नहीं रही हो और उसके ब्दारा प्रस्तुत नहीं की जा सकी हो।
2. ममले के अभिलेख से कोई प्रकट हुई प्रत्यक्षदर्शी भूल ,
3. अन्य पर्याप्त आधार ।

तत्का. सदस्य, राजस्व मण्डल म0प्र० ग्वालियर ब्दारा प्रकरण कमांक 7005-दो/2015 निगरानी में पारित अंतिम आदेश दिनांक 22-8-16 में उक्त में कौनसी भूल अथवा कमी रह गई है, आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके, जिनके आधार पर पुनरावलोकन आवेदन संज्ञान में लिया जा सके।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन सारहीन होने से इसी-स्तर पर अमान्य किया जाता है।



सदस्य